

पत्रांक / 4122 / आयुक्त उत्तरा / वाणि०क० / विधि-अनुभाग / पत्रा० / 15-16 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)

दिनांक: देहरादून :: 17 नवम्बर, 2015

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्र०), वाणिज्य कर,
देहरादून / त्रिभुक्तेश / हरिद्वार / रुडकी
काशीपुर / बाजपुर / रुद्रपुर / खटीमा सम्भाग।

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 957/2015 /152(120)XXVII(8)/2008 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूचि -I में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें तथा बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

4122
पू०प०सं० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3-महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 4-अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 5-एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन।
- 6-एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 7-ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8-श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

- 9-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 10-आईटी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 12-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 13-National Law House बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14-National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15-Swastik Publication एस0ई-233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16-Law Book Traders 10-नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
- 17-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 18-अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19-प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 20-दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 21-प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81-मोती बाजार देहरादून।
- 22-The whole sale dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
- 23-प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 24-कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25-समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय देहरादून।


एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2015/152(120)/XXVII(8)/2008
देहरादून:: दिनांक:: ०९ नवम्बर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-I के क्रमांक 1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-

क्र० सं०	माल का विवरण
1	(i) इस अधिनियम की किसी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के अन्यथा हाथ से अथवा पशु या ट्रैक्टर से संचालित कृषि उपकरण (जिसमें काष्ठ या इमारती लकड़ी से बने उनके पार्ट्स तथा एसेसरीज सम्मिलित नहीं हैं)। (ii) सगन्ध पादपों तथा उनके उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु उपयोग में आने वाले आसवन संयन्त्र।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं० 957/2015/152(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

8284
17/11/15

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपने आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.957/ 2015/ 152(120)/XXVII(8)/2008 dated 09 November, 2015 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.957/2015/ 152(120)/XXVII(8)/2008
Dehradun :: Dated:: 09 November, 2015

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In Schedule I for the existing entry at serial no 1, the following entry shall be substituted, namely -

Sl. No.	Description of goods
1	(i) Agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven (excluding parts and accessories thereof which are made of wood or timber). (ii) Distillation units used in the processing of aromatic plants and their products.


(Amit Singh Negi)
Secretary.